SHRI T.A. PAI : I can tell you that the food in the air-conditioned coach was quite good.

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, रेलवेज कैटरिंग में जो खाना बनाते है उन में मद्रासी ज्यादा रहते है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि 40-50 साल की जो महिलाएं हे वह इस रेलवेज कैटरिंग मे रखनी चाहिए क्योंकि उनको खाने पकाने का अच्छा ज्ञान व अनुभव होता है और उनके वहां पर रहने से हम को अच्छा खाना मिल सकेगा ? पुरुषों को तो खाना बनाना हमारे जैसा अच्छा आता नही है ।

**भारतीय संविधान के हिन्दी सस्करण की प्रतियों का उपलब्ध न होना**

*28. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरी सिंह :

क्या विधि और न्याय मत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) संविधान का हिन्दी संस्करण पिछली बार कब प्रकाशित किया गया था और उसकी प्रतियां बाजार मे कब से उपलब्ध नही है और वे लोगो को कब तक पुनः उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) क्या संविधान का जेबी संस्करण भी प्रकाशित किया जायेगा; और

(ग) भारत का संविधान अधिक से अधिक जन साधारण तक पहुंचाने के लिए क्या उसका रियायती मूल्य भी रखा जायेगा और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : (क) संविधान का 1 दिसम्बर, 1957 तक यथा संशोधित द्विभाषी संस्करण विधि मंत्रालय द्वारा 1959 में प्रकाशित किया गया था, जिस में अंग्रेजी पाठ और उसका हिन्दी रूपान्तर आमने-सामने दिए गए है । बताया जाता है कि इस प्रकाशन की प्रतियां अभी भी प्रबन्धक, भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली के पास विक्रयार्थ उपलब्ध हैं ।

(ख) फिलहाल नहीं । जब नया संस्करण प्रकाशित किया जाएगा तभी इसके जेबी संस्करण के प्रकाशन पर भी विचार किया जाएगा ।

(ग) संविधान के अद्यतन हिन्दी रूपान्तर की प्रति की विक्रय कीमत नियत करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब ऐसा रूपांतर प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएगा ।

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : सन् 1957 में संविधान की प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनीं । मैं जानना चाहता हूं कि वह किस-किस जगह पर बिक्री के लिए रखी गई । कितनी बिक्री हुई और अब कितनी उपलब्ध हैं । छोटे संस्करण पर आपने कब से विचार करना शुरू किया था और उस का क्या निष्कर्ष निकला ?

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : कितनी प्रतियां छपी थी, वह कहा है और कितनी बाकी है यह सूचना इकट्ठी कर के मैं माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा । छोटे संस्करण के लिए कम्पोजीशन में छोटे अक्षर फोटो-स्टेट किये जाते है । जैसा मैंने पहले उत्तर में कहा, जब नया संस्करण तैयार होगा । तब इस पर विचार किया जायेगा :

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : आपने कब से विचार करना शुरू किया था और उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : छोटे संस्करण की बात नही आई ।

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या आप ने दूसरी भारतीय भाषाओ में भी इसके संस्करण निकालने की कोई बात सोची है ? अगर सोची है तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है और उस को आप कब तक निकालने जा रहे है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी . भारत की अन्य भाषाओ मे सविधान का सस्करण तैयार करने के लिए उस का अन्य भाषाओ मे अनुवाद हो रहा है। कुछ तो पूरा हो चुका है और कुछ पूरा होना है। जैसे ही वह पूरा हो जायेगा, उस को प्रकाशित किया जायेगा।

श्री हरी सिंह मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि अब तक सविधान द्वारा स्वीकृत कितनी भाषाओ मे हिन्दुस्तान के संविधान को छापा जा चुका है और उनकी कितनी सख्या थी ? क्या यह भी सही है कि हिन्दी के अतिरिक्त किसी भी रीजनल भाषा मे हमारा सविधान नही छापा गया है ? यदि हा, तो क्यो ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी यह प्रश्न हिंदी सविधान के सबध मे है। अन्य भाषाओ के बारे मे मैं जानकारी इकट्ठी कर के माननीय सदस्य को भेज दूगा।

डा० गोविन्द दास क्या यह सही नहीं है कि सविधान के हिन्दी प्रारूप पर भी राजेन्द्र बाबू के हस्ताक्षर हो गये थे ? सविधान सभा का मैं भी एक सदस्य था, और वहा यह आश्वासन दिया गया था कि हिन्दी का जो रूपान्तर सविधान का है वह भी अग्रेजी के सदृश ही मान्य किया जायगा। अगर यह बात सही है तो फिर से उसके हिन्दी रूपान्तर का प्रश्न क्यो उपस्थित हुआ है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी . कान्स्टिटुएट असेम्बली मे यह निश्चय हुआ था कि उसका तर्जुमा कर के पेश किया जाय। 26 जनवरी, 1950 को श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने कान्स्टिटुएट असेम्बली म उसे पेश किया। कान्स्टिटुएट असेम्बली के सदस्यो ने उस पर हस्ताक्षर किये और 25 जनवरी, 1950 को वह राज-पत्र म प्रकाशित हुआ था। उस समय की जो बात थी वह सब कान्स्टिटुएट असेम्बली के डिबेट्स मे है।

डा० गोविन्द दास मेरा यह प्रश्न था कि जब सब सदस्यो के उस पर हस्ताक्षर हो गये थे और जब राजेन्द्र बाबू के भी उस पर हस्ताक्षर हो गए थे, तब सविधान के प्रतिरूप का फिर से प्रश्न क्यो खडा हुआ है ? जो पुराना हिन्दी का सविधान वह क्यो स्वीकार नही किया जाता ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H R GOKHALE) . The question is this It is not that we are reluctant to recognise that particular edition which was signed by the President and the Members of the Constituent Assembly as authorised text of the Constitution But it is a question of law, particularly the interpretation of the Constitution This question has been examined The Attorney-General has given the opinion that while that may be regarded as an authorised translation it cannot be regarded as an authorised text of the Constitution So, the question as to what should be done to prepare and publish an authorised text of the Constitution is being examined at the moment

**Indo-Yugoslavia Trade Agreement**

*30 SHRI P GANGADEB Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state

(a) whether India and Yugoslavia have agreed to balance their trade in 1972 and also to maintain the existing pattern of non-traditional and traditional exports from India to Yugoslavia ,

(b) whether trade plan for 1972 was discussed between the visiting Yugoslav team and Foreign Trade Ministry in the month of June, 1972 , and

(c) whether a further review of trade plan as well as consideration of certain questions like the Yugoslav claim for make up in payment following the 1967 Pound Sterling devaluation were taken up at the Ministerial level talks between the two countries ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (c). Yes, Sir.